

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर गुलाबपुरा जिला भीलवाड़ा  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत)  
केम्प कोर्ट- खेजडी

—आदेश—

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना-पत्र एवं पटवारी खेजडी भू-अभिलेख निरीक्षक- दांतडा की रिपोर्ट तथा तहसीलदार हुरड़ा की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम - खेडी तहसील हुरड़ा जिला भीलवाड़ा की जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 में खाता संख्या 196 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

| क.सं. | ग्राम | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)                         |
|-------|-------|-------------|--------------------------------------|--|
| 1     | खेडी  | 196         | लहरी बेवा नाथू माली                  | लहरी पत्नि स्व. नाथू माली किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। |



(नन्दकिशोर राजोरा)  
पीठासीन अधिकारी,  
लोक अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर गुलाबपुरा

कमांक :-रेवेकोर्ट/716/2018

दिनांक 13.06.2018

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार हुरड़ा।
2. पटवारी खेजडी को भेजकर लेख है कि उक्तानुसार इन्द्राज दुरुस्त करें।
3. प्रार्थी/ लहरी पत्नि स्व. नाथू माली, निवासी- खेडी को सूचनार्थ। रक्षित पत्रावली।

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
पदेन सहायक कलक्टर गुलाबपुरा  
जिला भीलवाड़ा